न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/644)

1. सौरभ डाटा पुत्र श्री विजय डाटा जाति महाजन, निवासी भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग अलवर, तहसील व जिला अलवर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत खोह जरिये सरपंच खोह, तहसील रामगढ, जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी रामगढ, जिला अलवर निर्णय दिनांक 18.05.2016 बाबत इन्तकाल संख्या 212 ग्राम बान्धौली, तहसील रामगढ जिला अलवर जो अपीलान्ट को सुने बिना विधि विरूद्व तरीके से अपील खारिज की गई।

उपस्थित :–

1. श्री सुरेश पहाडिया, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–23.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रामगढ़, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 18.05.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 28.07.2017 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने ग्राम बान्धौली, ग्राम पंचायत खोह, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर द्वारा नामान्तकरण संख्या 212 पर पारित निर्णय दिनांक 21.06.2009 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ, जिला अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ, जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 18.05.2016 द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह में सरपंच द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर अपील खारिज करने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी रामगढ, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 18.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट सौरभ डाटा पुत्र श्री विजय डाटा द्वारा यह अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 18.05.2016 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बाद तामील अनुपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ जिला अलवर द्वारा आलौच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट के पास उपलब्ध रजिस्टर्ड बैयनामा का अवलोकन किया जाना चाहिए था तथा बैयनामा के आधार पर इन्तकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल होना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैरिट के आधार पर फैसला दिया जाना न्यायोचित था परन्तु ऐसा नहीं करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनदेखी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी बिन्दुओं व तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए अपीलान्ट की प्रथम अपील पर निर्णय किया जाकर ग्राम पंचायत खोह का आदेश दिनांक 21.06.2009 विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज करते हुए अपील इन्तकाल संख्या 212 वाके ग्राम बान्धौली, तहसील रामगढ़, जिला अलवर अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार किया जा सकता था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फौरी तौर पर सरपंच के

जवाब को ही आधार मानकर लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण करते हुए इन्तकाल की अपील को खारिज कर दिया गया। इस कारण आलौच्य आदेश को अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलान्ट का कब्जा उक्त आराजी खसरा नं. 977 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम बानौली, तहसील राममढ, जिला अलवर पर वक्त खरीद जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनाक 22.01.2009 से आज तक कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है और मौके पर अपीलान्ट की काश्त मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राममढ, जिला अलवर ने प्रथम अपील बाबत इन्तकाल संख्या 212 ग्राम बानौली, पंचायत खोह, तहसील राममढ निर्णय दिनांक 18.05.2016 के द्वारा मिन अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना लोक अदालत कैम्प कोर्ट में कार्यवाही करते हुए सरपंच द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर अपील खारिज की गई जो विधि विरूद्ध तरीके से खारिज की गई है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि दोनों पक्षकारों को सुना जाकर निर्णय किया जाना ही न्यायोचित है। प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी तथा ना ही सुनवाई, साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत पूर्ण अवसर दिया गया है। लोक अदालत में उन्ही प्रकरणों को निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया हो। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नकल प्राप्ति की दिनांक 06.07.2017 से हुई, इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी। जिससे यह अपील बिना देरी के अन्दर अवधि प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय तहत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ, जिला अलवर दिनांक 18.05.2016 को निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में नजीरें 2023(1) आर.आर.टी 247, 2024(1) आर.आर.टी. 225, 2018(2) आर.आर.टी. 864, 2018 आरबीजे 676 पेश की गई।

6. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नकल प्राप्त होने की दिनांक 06.07.2017 से होना अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई आख्यापक (speaking) तथा सकारण (Reasoned) आदेश पारित नहीं किया गया है। केवल मात्र सरपंच के लिखकर यह पेश कर देने पर कि विवादित आराजी का पूर्व में रजिस्टर्ड बैचान किया जा चुका है के आधार पर अपील खारिज कर दी गई है। उक्तानुसार विस्तृत निर्णय लिखे बिना ही पत्रावली खारिज किया जाना विधिवत प्रक्रिया नही है। अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत पूर्ण अवसर दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से विदित नहीं होता है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा नजीरें पेश की गई। प्रस्तुत नजीरें 2023(1) आर.आर.टी 247, 2024(1) आर.आर.टी. 225, 2018(2) आर.आर.टी. 864, 2018 आरबीजे 676 के अवलोकन से स्पष्ट है कि लोक अदालत में उन्ही प्रकरणों को निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया हो। प्रकरण में अपीलान्ट को सुना ही नही गया है। अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये पारित करें।

1. क्या वादग्रस्त भूमि का पूर्व में पंजीकृत बयनामें के द्वारा बैचान किया गया है। पंजीकृत बयनामें को रिकॉर्ड पर लिया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि बैचाननामा किस तिथि का है क्या बयनामा पत्रावली में संलग्न बयनामें से पूर्व तिथि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

का अथवा पश्चात का है। तथा उच्चतर न्यायालय द्वारा पंजीकृत बेचान के पश्चात किये गये पश्चातवर्ती बेचान किये जाने के सम्बन्ध में क्या नजीरें जारी की गई है ?

2. यदि ऐसा कोई पंजीकृत बैयनामा प्रस्तुत नही किया जाता है तो पत्रावली में संलग्न पंजीकृत बयनामें के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जाना किन नियमों में वर्जित है, का अध्ययन/मनन कर विधिवत निर्णय पारित किया जावे क्योंकि पंजीकृत दस्तावेज जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं कर दिया जावें एवं दस्तावेज से पूर्व कोई पंजीकृत दस्तावेज उसी सम्पति के सम्बन्ध में नही किया गया हो तब तक नामान्तकरण से इनकार किया जाना क्या उचित प्रक्रिया है ?

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर